डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

[illegible] उपखण्ड अधिकारी मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**

[illegible] श्री बी0 एल0 मीना **(R.A.S.)**

1. [illegible] पुत्र हुकमसिंह उम्र 55 वर्ष
2. [illegible] पुत्र हुकमसिंह उम्र 50 वर्ष
3. [illegible] पुत्र हुकमसिंह उम्र 45 वर्ष
4. [illegible] पुत्री हुकमसिंह उम्र 35 वर्ष

} जाति ठाकुरान निवासीगण ग्राम गढीसुक्खा तह0 बाडी

बनाम

1. [illegible] पुत्र नामालूम
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

(2–4) } पुत्रगण बीरबल

} जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम बीरबल का अड्डा लालौनी तह0 बाडी

5. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी बहैसियत भूस्वामी
6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 शाखा गढीसुक्खा

दावा दावत

मुकदमा नं. **93 / 2013**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय

[illegible] व हाजरी **श्री श्रीलाल रावत एड0** मिनजानिव मुददई **श्री सुरेश श्रीवास्तव एड0**

मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 1313 रकवा 11 विस्वा बांके ग्राम गढीसुक्खा तह0 बाडी जिला धौलपुर में प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य नहीं करें। ना ही वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करें। ना ही वादीगण की खातेदारी की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा पैदा ही करें।

नीज .... मुबलिग.................... बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें। वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **15** माह **07** साल **2016** को जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहदा **उपखण्ड अधिकारी बाडी**

उपखण्ड अधिकारी बाड़ी (धौलपुर) राज

मुहर	रूपया	न.पै.		रूपया	न.पै.
मुद्दई			मुद्दायला		
स्टाम्प मरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनतनामा वकील) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बालत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या / नही खर्च करना चाहिये।

बाड़ी (धौलपुर) राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री जी0एल0 मीना (आर0ए0एस0)

उनवान

रामभगत बनाम बीरबल

1. रामभगत पुत्र हुकमसिंह उम्र 55 वर्ष
2. देवीलाल पुत्र हुकमसिंह उम्र 50 वर्ष
3. सन्तोष पुत्र हुकमसिंह उम्र 45 वर्ष
4. रमना पुत्री हुकमसिंह उम्र 35 वर्ष

} जाति ठाकुरान निवासीगण ग्राम गढीसुक्खा तह0 बाडी

वादीगण :–

बनाम

1. बीरबल पुत्र नामालूम
2. शिवराम
3. रूपलाल } पुत्रगण बीरबल
4. कल्ला

} जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम बीरबल का अड्डा लालौनी तह0 बाडी

प्रतिवादीगण :–

5. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी बहैसियत भूस्वामी
6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 शाखा गढीसुक्खा

प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीगण के वकील – श्री श्रीलाल रावत एड0
उपस्थित प्रति0 के वकील – श्री सुरेश श्रीवास्तव एड0

दावा अन्तर्गत धारा 188 रा0का0अधि0

दावा सं. 93/2013 दिनांक :– 15.07.2016

निर्णय

वादीगण द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :–

आराजी ख0नं0 1313 रकवा 11 विस्वा किस्म बारानी सोयम बांके ग्राम गढीसुक्खा तह0 बाडी में स्थित है के वादीगण खातेदार काश्तकार है व इसी हैसियत से मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी से प्रति0 का कोई भी सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। ना ही प्रति0 खातेदार काश्तकार है। प्रति0 बहुत ही चलाव वाले शातिर किस्म के गुर्जर जाति के लोग है। उनका ही बहुमत गांव के पास है। किसी भी तरह प्रति0 वादीगण को गांव से भगाना चाहते है तथा जबरन कब्जा करना चाहते है। आये दिन डकैतों से मरवाने की धमकी दे रहे है। दिनांक 07.06.2013 को सुबह 8 बजे सभी प्रति0 वादीगण की विवादित आराजी पर आये और पत्थर डालकर कुछ हिस्से पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। वादीगण ने एवं वादी संतोष की पत्नी सीमादेवी ने प्रति0 से निर्माण

उपखण्डाधिकारी

ऊपर कब्जा करने से मना किया तो प्रति0 ने सीमादेवी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। जब सीमादेवी चिल्लाई तो मौके पर कई लोग आ गये और उन्होंने बचाया। इस वाकया की रिपोर्ट सीमादेवी ने थाना कंचनपुर में जाकर पेश की। उक्त रिपोर्ट से प्रति0 आग बबूला हो गये और जगरन लाठी बन्दूक के बल पर आराजी पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करना चाहते है। जिसका कि प्रति0 को कोई अधिकार नहीं है। विवादित आराजी कृषि भूमि है जिस पर बिना रूपान्तरण कराये किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना गैर कानूनी है। दिनांक 09.06.2013 को जब वादीगण आराजी पर पहुंचे तो प्रति0 ने जाहिर किया कि वे विवादित आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर बन्दूक के जोर पर निर्माण कार्य करेंगे और वादीगण को बेदखल कर देंगे। यदि प्रति0 अपने उक्त कृत्य में कामयाब हो गये तो वादीगणों को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रति0 ने विवादित आराजी के कुछ हिस्से पर जो पत्थर, दीवाल, छप्पर दिनांक 09.06.2013 को चुन दिये है वादीगण जरिये मैडेटरी इन्जैक्शन से प्रति0 के खर्चे पर ध्वस्त करा पाने के अधिकारी है तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करा पाने के अधिकारी है कि प्रति0 विवादित आराजी में कोइ भी मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें। ना ही कोई कब्जा कर निर्माण करें और जो पत्थर की दीवाल व पत्थर डझल दिये है उसे मैडेटरी इन्जैक्शन से हटवाया जावे।

इस प्रकार दावा में वादीगण ने निवेदन किया कि :–

प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी में कोई मजाहमत व मदाखलत बेजा पैदा नहीं करें। ना ही वादीगणों को काश्त करने से रोकें। ना ही कोई निर्माण व अतिक्रमण करें। प्रति0 ने विवादित आराजी में कुछ पत्थर डालकर कुछ हिस्से पर जो दीवाल अधूरी व छप्पर डाल लिया है उसे प्रति0 के खर्चे पर जरिये मैडेटरी इन्जैक्शन से ध्वस्त कराया जावे व दौराने दावा यदि प्रति0 विवादित आराजी पर कोई निर्माण कर लेते है तो उसे भी मैडेटरी इन्जैक्शन से ध्वस्त कराया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 ने उपस्थित न्यायालय आकर जवावदावा प्रस्तुत कर दावे अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष कथन में अंकित किया कि :–

उक्त भूखण्ड प्रति0 ने करीब 9 वर्ष पूर्व मार्च 2005 में वादीगण के पिता हुकमसिंह से 45000/– रूपये के बदले क्रय किया था। जिसका जुबानी सौदा हुआ था। खरीददारी के दिवस ही क्रेता प्रति0 ने विक्रेता हुकमसिंह से विवादित भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा विक्रेता हुकमसिंह ने विक्रयधन 45000/– रूपये नगद प्रति0 से गांव वालों के समक्ष प्राप्त कर लिये थे। चूंकि उक्त आराजी पर विक्रेता हुकमसिंह ने एस0बी0बी0जे शाखा गढी सुक्खा से ऋण ले रखा था। इस कारण ऋण अदायगी से पूर्व प्रति0 के पक्ष में विवादित भूखण्ड का वयनामा होना संभव नहीं था। विक्रय संविदा में क्रेता व विक्रेता के मध्य यह तय हुआ कि विक्रेता जल्दी ही बैक ऋण को अदा कर देगा औ प्रति0 के पक्ष में वयनामा कर देगा। इसके बाद प्रति0 विक्रेता हुकमसिंह से बैंक ऋण अदाकर अपने पक्ष में वयनामा कराने की कहते रहे लेकिन विक्रेता ने बैंक ऋण चुकता नहीं किया और प्रति0 को ऋण अदा कर वयनामा करने का आश्वासन देता रहा। इस संबंध में सन् 2006 में कंचनपुर थाने पर पंचायत भी हुई थी जिसकी लिखापढी भी हुई थी। अन्ततः माह मई 2010 में विक्रेता हुकमसिंह का निधन हो गया। विक्रेता हुकमसिंह ने मरने से

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

करीब 6 माह पूर्व प्रति0 ने विवादित भूखण्ड का बैंक ऋण अदाकर वयनामा करने की कहा तो उसने कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है। ऋण चुकता होते ही मेरे बच्चे वयनामा कर देंगे। इस प्रकार विक्रेता हुकमसिंह ने ना तो बैंक का ऋण अदा किया और ना ही वयनामा किया। मृतक के वारिसान वादी सं0 1 लगा0 4 के मन में हुकमसिंह के जीवनकाल से बेईमानी आ गई और उन्होंने जानबूझ कर बैक ऋण नहीं भरा और अब वे वयनामा करने से मुकर रहे है। जब प्रति0 ने वादीगण से वयनामा करने के लिए दिनांक 07.04.2010 को कहा तो दिनांक 09.04.2010 को प्रति0 सं0 3 की पत्नी सीमा ने प्रति0 के विरुद्ध पुलिस थाना कंचनपुर में एक झूठी एफ0आई0आर0 नम्बरी 106/10 अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में दर्ज करा दी तथा पुलिस वालों से मिलकर झूठा चालान प्रस्तुत करवा दिया तथा वयनामा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा प्रति0 को झूठे के स में फंसाने की धमकी दे रहे है। उक्त भूखण्ड आराजी ख0नं0 1313 रका 11 विस्वा स्थित ग्राम गढीसुक्खा तह0 बाडी है। जिसमें खरीददारी के पूर्व से कभी कोई फसल नहीं हुई। आबादी व सडक से लगा हुआ भूखण्ड है। जो रिहायशी काम में लिया जाता रहा है। जो ग्राम गढीसुक्खा आबादी ऐरिया में आ चुका है। पिछले 9 वर्ष से अधिक समय से प्रति0 विवादित भूखण्ड में कच्चा मकान बना कर मय परिवार के रह रहे है। प्रति0 ने उक्त भूखण्ड में कच्चे घर बनाये है। जिन पर झोपडी पडी हुई है। एक कमरा की नींव भरकर जमीन से करीब 3 फुट ऊंची कुर्सी बंधवाई है तथा एक कमरे की नींव भरवाई जो खरीददारी के समय ही भरवा दी थी। इसके अतिरिक्त उक्त भूखण्ड में प्रति0 का घूरा पडा है, ईंधन रखा है, कुटी की मशीन गढी है तथा प्रति0 द्वारा शीशम, कंजी, जामुन के एक एक पेड तथा 3 पेड पीपल व करीब 7–8 पेड नीम के लगाये हुए है तथा कमरे के निर्माण के लिए पत्थर पडे हुए है। इस प्रकार प्रति0 विवादित भूखण्ड के ऐकान्तिक आधिपत्य में है। उक्त विवादित जायदाद के सम्बन्ध में प्रति0 सं0 2 ने वादी सं0 3 की पत्नी व अन्य के खिलाफ एक वाद बावत स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान एम0जे0एम0 साहब बाडी में दायर कर रखा है जो साक्ष्य की स्टेज पर विचाराधीन है। दावा वादीगण कब्जे के अभाव में पोषणीय नहीं है।

अतः वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तत्पश्चात पत्रावली कोर्ट कैम्प गढीसुक्खा में रखी गई। जहां वादीगण को सुना गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वादीगण द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया गया। यह तथ्य तो निर्विवाद है कि विवादित आराजी के रिकार्डड खातेदार काश्तकार वादीगण है। उक्त तथ्य को प्रति0 द्वारा अपने जवावदावा की मद सं0 1 में स्वीकार किया गया है। प्रति0 द्वारा अपने जवावदावा में अंकित किये गये तथ्यों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रमाणिक दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में प्रति0 द्वारा अपने जवावदावा में अंकित किये गये तथ्यों को माना नहीं जा सकता है। जबकि वादीगण ने अपने खातेदार काश्तकार होने का प्रमाण जमाबन्दी को प्रस्तुत किया है। जो एक राजस्व रिकार्ड है। जिसके गलत होने का संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में जब वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है तो वह राज0काश्त0अधि0 के मुताबिक खातेदार की हैसियत से वादीगण प्रति0 को पावन्द कराने के अधिकारी होते है। इस प्रकार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 1313 रकवा 11 विस्वा बांके ग्राम गढीसुक्खा तह0 बाडी जिला धौलपुर में प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन

उपखण्डाधिकारी

कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य नहीं करें। ना ही वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करें। ना ही वादीगण की खातेदारी की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा पैदा ही करें। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय कोर्ट कैम्प गढीसुक्खा में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज